संक्षिप्त

कुएं में गिरने से विवाहिता की मौत

बौंली, (निसं)। क्षेत्र के कुआगांव के खेत पर एक कुएं में गिरने से विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। सूचना पाकर मित्रपुरा पुलिस चौकी टीम मौके पर पहुंची एवं विवाहिता का शव कुएं से बाहर निकला कर बौंली चिकित्सालय पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बौंली थाना प्रभारी श्री किशन मीणा ने बताया कि सीमा देवी पत्नी ब्रजमोहन रैगर उम्र 28 वर्ष निवासी कुआंगांव की पैर फिसलने से कुएं में गिरने के कारण मौत हो गई। मृतका के शव को बौंली चिकित्सालय लाया गया एवं पीहर व ससुराल पक्षों के सामने शव का पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इस मामले में फिलहाल पुलिस ने मर्ग दर्ज किया है।

23 प्रकरणों का निस्तारण किया

किशनगढ़ बास, (निसं)। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर पालिका की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बास कृपाल नगर में वार्ड 2 व 25 के लोगों को शिविर लगाया गया। ईओ महेश गुर्जर ने बताया कि गुरुवार को प्रशासन शहरों के संग चल रहे शिविर के तहत वार्ड 2 व 25 के लोगों के लिए बास कृपाल नगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 23 प्रकरण दर्ज कर मामलों का निस्तारण शिविर के दौरान किया गया। शिविर में बिजली पानी के अतिरिक्त नगर पालिका अधिकारी कार्मिक उपस्थित रहे।

कांवडिया सहायता शिविर शुरू

राजगढ़, (निसं)। अलवर मार्ग पर कोठी नारायणपुर तिराहे के समीप कावड़िया सहायता शिविर का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर अवधूत दत्त आश्रम के महंत स्वामी श्याम भारती महाराज एवं अमन भारती महाराज के साथ उनकी टीम ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान भोले की स्थापना एवं पूजा-अर्चना कराई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि अमरचंद फौजी राहुल मीणा एवं नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुआरिया सहित कस्बे के व्यापारियों एवं सेवाभावी लोगों की मौजूदगी में आस्था का जादू शिविर के शुभारंभ पर चारों ओर छाया रहा। इस शिविर में कावडियों के अलावा नारनौल एवं हरियाणा से आने वाले हनुमान भक्तों का भी जोरदार सत्कार होता है।

15 साल से भटक रही महिला को शिविर में आवासीय पट्टा मिला

मंडावरी, (निसं)। प्रशासन शहरों के संग का तृतीय चरण शहर वासियों के लिए राहत भरा बनकर सामने आया है। गुरुवार को प्रशासन शहरों के संग शिविर का आयोजन मूर्ति मोहल्ले के सामुदायिक भवन में किया गया।

शिविर के दौरान एक ऐसे लाभार्थी को पट्टा वितरित किया गया जो पिछले 15 सालों से खुद के आवासीय मकान का पट्टा लेने के लिए प्रयासरत था लेकिन किसी तकनीकी कारण से उसे पट्टा नहीं मिल पा रहा था। जहां शिविर

■ कई कार्यों का मौके पर ही हुआ निस्तारण

के दौरान पूर्व तैयारियों के तहत आवेदन भरा कर रखी हुई फाइल को तुरंत तैयार कर शिविर के दौरान तुरंत लाभार्थी को आवासीय पट्टा तैयार कर लाभान्वित किया गया। मंडावरी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी नमन शर्मा ने बताया कि शिविर में नगर पालिका कर्मी राजस्थान सरकार की मंशा अनुरूप पट्टे बनाने के लिए घर-घर जाकर सर्वे का कार्य कर रहे हैं एवं पात्र पट्टे विहीन परिवारों को पट्टा बनवाने के लिए प्रेरित कर खुद के स्तर पर ही जरूरतमंद लोगों को आवेदन तैयार कराने का कार्य भी कर रहे हैं।

शिविर के दौरान खातेदारी में बसे कुछ ऐसे आवेदन भी आए जहां खातेदार द्वारा उनको बैंक के रहन रखी थी। इस तकनीकी खामी के चलते कृषि भूमि पर बसी परिवारों को पट्टा देने में अड़चन पैदा हुई है।

वही नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर बसी हुई ऐसी आबादी जो आबादी में चिन्हित नहीं थी उसको आबादी मे परिवर्तित करने के लिए सुमोटों की कार्रवाई भी की जा रही है। सुमोटो की कार्रवाई के बाद कृषि भूमि में बसी कॉलोनियों को भी आवासीय पट्टे जारी किए जाएंगे.. शिविर के दौरान अधिशासी अधिकारी नमन शर्मा शिविर प्रभारी रमेश चंद शर्मा नगर पालिका कर्मी रामअवतार मीणा गजानंद शर्मा प्रेम शर्मा रिंकू शर्मा बृजेश गौतम सहित शिविर में कई लाभार्थी मौजूद रहे।

प्रशासन शहरों के संग शिविर के दौरान अधिशासी अधिकारी नमन शर्मा ने पट्टे बांटे।

पर्यावरण रक्षा यात्रा का स्वागत

श्रीमाधोपुर, (निसं)। सामाजिक कार्यकर्ता अशोक माथुर के निर्देशन में राष्ट्रीय एकता, सद्भावना एवं पर्यावरण रक्षा यात्रा सोहेल भाटी के नेतृत्व में सीकर पहुंची। यात्रियों का स्वागत सीकर के नागरिकों ने माला पहना कर किया। अनिल मेघवाल, खुशवन्त लूनिया, अंशुमान राजपुरोहित, गौरव नंदीवाल, मयंक, और सोहेल भाटी को सभी ने साधुवाद देते हुए साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने व पर्यावरण संरक्षण करने की भी शपथ ग्रहण की। इसी क्रम में सभी ने मिल कर बाईपास पर वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता अशोक माथुर ने यात्रा के उद्देश्य से उपस्थित जनों को परिचित कराते हुए बताया कि राजस्थान के लिए इस प्रकार के अभियान सामाजिक दृष्टि से बहुत आवश्यक है। जन एकता से ही समस्याओं का समाधान आसानी से होगा। इसी उद्देश्य से प्रसिद्ध गांधी विचारक महात्मा गांधी के पडपोते तुषार गांधी 24 जुलाई, 2022 को पूरे राजस्थान से आए हुए लोकतांत्रिक चेतना और राष्ट्रीय एकता से जुड़े हुए लोगों को इन्दिरा गांधी पंचायतीराज संस्थान, जयपुर के ऑडिटोरियम में सम्बोधित करेंगे। सोहेल भाटी ने राजस्थान के प्रत्येक जिले में वृक्षित फाउण्डेशन के कार्य को विस्तारित करने का संकल्प भी जाहिर किया। यह रैली कल प्रात: रींगस पहुंचेगी जहां संस्कृति स्कूल में स्वागत, परिचर्चा की जायेगी।

'आमजन की शिकायतों का निस्तारण करें'

दौसा, (निसं)। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने कहा कि जिले में पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिये जिला जन अभाव अभियोग व सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुये सभी विभागीय अधिकारी निष्पक्षता से जांच कर शीघ्रता से निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

गुरूवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र में आयोजित जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की वीडियो कान्फ्रेंस बैठक में समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने सभी जिला स्तरीय अधिकारी एवं उपखंड स्तरीय अधिकारियों से कहा कि वे आमजन से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में अविलम्ब और प्राथमिकता के साथ कार्यवाही करें तथा उनके निस्तारण के संबंध में की गयी कार्यवाही की सूचना को शीघ्रता से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि सरकारी योजनाओं के समय पर क्रियान्वयन के लिये प्रभावी मॉनिटरिंग करे तथा सभी विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों में आपसी समन्वय बनाकर कार्य करवानें की व्यवस्था करें। बैठक में जिला कलेक्टर ने दर्ज प्रकरणों की समीक्षा के उपरान्त 4 प्रकरण का निस्तारण किया तथा शेष प्रकरणों पर अविलम्ब अपेक्षित कार्यवाही करने के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

उत्तर पश्चिम रेलवे

खुली ई-निविदा सूचना

सं. ईएल/टीआरडी/जेपी/10/2022-23/टीएफ दिनांक : 20.07.2022 व.मं.बि.इंजी.(टीआरडी), उ.प.रे., जयपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिये ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है। कोई भी मैन्युअल टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा और अगर कोई मैन्युअल टेण्डर प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा। **1. एनआईटी संख्या :** ईएल/टीआरडी/जेपी/10/2022-23 **कार्य का नाम :** टीआरडी वर्क इन कनेक्शन विथ न्यू प्रोपोसड लाइन (लाइन नंबर 03) एट सिरस स्टेशन इन जयपुर-सवाई माधोपुर सेक्शन ऑफ जयपुर डिविजन। **अनुमानित लागत :** रू. 1,16,11,441.50 **बिड सिक्युरिटि राशि :** रू. 20,8100.00 **निविदा खोलने की तिथि :** 17.08.2022 **नोट : ई-निविदा की अंतिम तिथि एवं समय :** निविदा खोलने की तिथि को 15.00 बजे तक **ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय :** निविदा खोलने की तिथि को 15.00 बजे बाद **सम्पूर्ण जानकारी के लिये वेबसाइट का पता : http://www.ireps.gov.in** 544-CQ/22

हमें /NWRailways /NWRailways_ पर फॉलो करें

पूर्व संसदीय सचिव कसाना का जन्मदिन मनाया

कोटपूतली, (निसं)। क्षेत्र के पूर्व विधायक, राज्य सरकार में संसदीय सचिव रहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महामंत्री रामस्वरूप कसाना का जन्मदिन धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कसाना ने अपने जन्मदिवस की शुरूआत गौसेवा के साथ की।

इस दौरान ग्राम खेड़ा निहालपुरा स्थित श्री राधाकृष्ण गौशाला, कालुहेडा स्थित श्री देवनारायण गौशाला में गौ सवामणी व वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी ओर कसाना के जन्मदिवस पर कस्बा स्थित उनके निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में राजनैतिक व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों, जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला व साफा पहनाकर एवं केक काटकर जन्मदिन की बधाई दी। कस्बे की विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कसाना का लोगों द्वारा स्वागत किया गया। ग्राम कल्याणपुरा खुर्द में कार्यकर्ताओं द्वारा वाहन रैली निकाली गई। वहीं ग्राम पंचायत बसई में छात्रनेता मनोज गढ़वाल के नेतृत्व में 151 पौधे लगाते हुए कसाना को ग्राम पंचायत की ओर से सरदार भगतसिंह का चित्र भेंट किया गया। वहीं ग्राम नांगल पण्डितपुरा में भी स्वागत समारोह का आयोजन हुआ। ग्राम नारेहडा में राजपूतों के मौहल्ले के साथ-साथ कस्बे के लक्ष्मीनगर स्थित जाखड प्लाजा पर भी कसाना का स्वागत किया गया।

विभिन्न जगहों पर आयोजित स्वागत समारोहों को सम्बोधित करते हुए कसाना ने कहा कि सभी जाति व वर्गो के लोगों के बीच एकता, भाईचारा व समरसता की स्थापना करना ही उनका उद्धेश्य है। इस दौरान पूर्व चौयरमैन प्रकाश चंद सैनी व एड. महेन्द्र कुमार सैनी, रमेश जिन्दल, किशोरी लाल नेताजी, देवीसहाय सैनी, महेश बंसल, मुकेश शर्मा, गोपाल सोनी, जितेन्द्र जोशी, मनोज सोनी, गोविन्द बिदाणी, पूर्व पार्षद रामचन्द्र सैनी, भूपेन्द्र सैनी, विक्रम शर्मा, बादल मीणा, इन्द्राज नेताजी, श्यामलाल बंसल, पवन मोरीजावाला, ख्यालीराम सैनी, छाजुराम, हीरालाल, जगदीश तिलकधारी, बाबूलाल सैनी, सुनील कुमावत, मनोज गुप्ता, रामचन्द्र गुप्ता, सुरेश संघई, अरविन्द सैनी, लालचंद सैनी, सुरेश मोठुकावाला, ओमकार सुबेदार समेत अन्य मौजूद रहे।

तेजाब हमले से घायल विकास को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग

जयपुर (कासं)। विप्र सेना के प्रमुख सुनील तिवाड़ी ने गुरूवार को विप्र कल्याण बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष महेश शर्मा से मुलाकात कर श्रीमाधोपुर में तेजाब हमले से घायल हुए विकास शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग उठाई है।

उन्होंने कहा कि फौज में होने वाली 24 मिनट की दौड़ को अभ्यास में 19

■ आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो, पीड़ित को सरकार दे मदद : सुनील तिवाड़ी

मिनट में दौड़ने वाले, 19 वर्षीय युवक विकास शर्मा पर गुरूवार सुबह अभ्यास के लिए जाते वक्त एक अज्ञात युवक ने ईर्ष्या या द्वेषता पूर्वक तेजाब डाल दिया, इससे वह 40 से 50 प्रतिशत झुलस गया और उसे एसएमएस अस्पताल जयपुर में रैफर कर दिया। सुनील तिवाड़ी ने कहा कि जो बच्चा कल जैसलमेर जाकर फौज का एग्जाम देता, वह आज एसएमएस की बर्न यूनिट में भर्ती है। विकास का भाई रतन शर्मा गुरूवार को मेरे पास आया, विप्र सेना ने परिवार की आर्थिक सहायता की है। पूरा घटनाक्रम जानने के बाद विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा ने भी आरोपी को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी सजा देने और विकास शर्मा की नौकरी के लिए भी राज्य सरकार को चिट्ठी लिखने का आश्वासन दिया है।

विप्र सेना के प्रमुख सुनील तिवाड़ी (बाएं) ने विप्र कल्याण बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष महेश शर्मा (बीच में) को ज्ञापन सौंपकर तेजाब हमले से घायल को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग उठाई।

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

No.:F-2(01)Acct/Contract/2022/139-141 Date: 20-07-2022

ई-निविदा सूचना संख्या: 29/2022-23

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यो मय डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि के लिये जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिये उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा कार्यो की कुल लागत	:	रूपये 49.63 लाख (04 कार्य)
ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/अपलोड करने की अवधि	:	22-07-2022 को प्रात: 10.00 बजे से 01-08-2022 को सांय :6.00 बजे तक
Online EMD,Tender Fee & Processing Fee जमा कराने की तिथी	:	22-07-2022 को प्रात: 10.00 बजे से 01-08-2022 को सांय : 6.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथी	:	02-08-2022 को प्रात: 11.00 बजे

विस्तृत विवरण वेबसाईट urban.rajasthan.gov.in/uitudaipur, www.eproc.rajasthan.gov.in व www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

UBN : ITU2223WSOB00310, ITU2223WSOB00311, ITU2223WSOB00312, ITU2223WSOB00313

(नीरज माथुर) अधिशाषी अभियन्ता - तृतीय, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2021-22/1856-57 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-21.07.2022

श्रीमती माला देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश सोनी निवासी वार्ड नं.20 पुरोहितों का मोहल्ला कस्बा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार आवासीय प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौड़ाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.20 पुरोहितों का मोहल्ला श्रीमाधोपुर	चर्तुसीमाऐं निम्न प्रकार से है पूर्व दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा मे बाबूलाल पारीक का मकान, उत्तर दिशा में आम चौक व दक्षिण दिशा में बिहारी पारीक का मकान अवस्थित है।	मकान आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरव से पश्चिम 27 फुट 9 इंच व उत्तर से दक्षिण 20 फुट 6 कुल क्षैत्रफल 63.20 वर्गगज या 52.84 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 21.07.2022 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

विकास अधिकारियों ने आंदोलन किया

लालसोट, (निसं)। पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम विकास अधिकारी संघ के आव्हान पर पंचायत समिति क्षेत्र ग्राम विकास अधिकारी संघ उप शाखाध्यक्ष मुकेश मीना की अगुवाई में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन के तहत एसडीएम मोहर सिंह मीणा व विकास अधिकारी हरकेश मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। वहीं लंबी समय से चली आ रही मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप मांगों को जल्द ही पूरा करने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुमोदन के 9 माह बाद तथा ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री के स्व हस्ताक्षिरत समझौते के 6 माह बीतने के बाद भी मांगों का निस्तारण नहीं हुआ है। जबकि उच्च अधिकारियों ने एक माह में मांगों का निस्तारण करने का लिखित में आश्वासन दिया था।

पुलिस ने छायादार पौधे लगाये

निवाई, (निसं)। टोंक पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के पर्यावरण संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत सदर थाना पुलिस ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,राहोली व बरोनी थानान्तर्गत गांव सिरस में पुलिस चौकी व राजीव गांधी सेवा केन्द्र परिसर में पौधारोपण किया। विद्यालय के शारीरिक शिक्षक लोकेश चौधरी ने बताया कि स्कूल परिसर में कई प्रकार के फलदार व छायादार पौधे लगाए। इस अवसर पर सदर थाना प्रभारी कप्तान सिंह,राहोली चौकी प्रभारी दयाराम चौधरी, हेड कॉन्स्टेबल अजित सिंह, सांवर लाल, प्रेमराज,रामेश्वर लाल चौधरी, सरपंच प्रतिनिधि राजेन्द् मीणा आदि मौजूद रहे।

पौधरोपण व पाठ्य सामग्री बांटी

रामगढ़ पचवारा, (निसं)। पुलिस उप अधीक्षक अरविंद कुमार गोयल द्वारा गुरुवार को अनुराग सेवा संस्थान लालसोट के स्थापना दिवस के मौके पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण को संरक्षित करने का संकल्प दिलाया वहीं दूसरी ओर पिता विहीन बालकों को पाठ्य सामग्री का निशुल्क वितरण किया। गुरुवार को अनुराग सेवा संस्थान के 28 वां स्थापना दिवस संत मदन मोहन दास महाराज के पावन सानिध्य में पर्णकुटी कपिल आश्रम में समारोह पूर्वक पौधरोपण एवं पिताविहीन बालक - बालिकाओं को शिक्षण सामग्री वितरित कर मनाया गया। अनुराग सेवा सेवा संस्थान के प्रेस सचिव अनुराग तिवाडी ने बताया कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि पुलिस उपाधीक्षक अरविन्द गोयल ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा के लिएर किए जाने वाले कार्य पुण्य के कार्य हैं। इस अवसर संस्थान के सचिव श्याम सुंदर शर्मा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

'प्रोफेसर डॉ. अशोक खटीक ने बताई अपनी पीड़ा'

अलवर, (निसं)। रुक्टा प्रांतीय संयुक्त सचिव डॉ. रमेश बैरवा ने प्रेस नोट जारी कर बताया है कि अलवर में हुई जिला स्तरीय जन सुनवाई में जिला कलेक्टर को कला कॉलेज में भूगोल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ.अशोक खटीक ने प्रतिवेदन देकर अपनी पीड़ा बताई। प्रतिवेदन में बताया है कि डॉ अशोक खटीक के साथ जातिगत दुर्भावनावश भेदभाव एवं दोहरा बर्ताव कर महाविद्यालय में कार्यग्रहण नहीं करवाकर जून, 2018 से 09.01.2019 तक का करीब 7 महीनों के वेतन भत्तों का भुगतान रोका हुआ है, जिसे दिलाकर इनके साथ न्याय किया जाए। प्रार्थना पत्र में लिखा है कि तत्कालीन प्राचार्य ब्रजभूषण शर्मा ने उच्च न्यायालय के निर्णय आदेश एवं पूर्वानुमति के संबंध में विभाग द्वारा जारी आदेश के बावजूद भी विधि की खुली

■ रुक्टा प्रांतीय संयुक्त सचिव डॉ. रमेश बैरवा ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी

अनदेखी एवं पद का दुरुपयोग कर इनके प्रति जातिगत दुर्भावनावश भेदभाव एवं दोहरा बर्ताव रखते हुए इन्हें दिनांक 01.08.2018 से 09.01.2019 तक महाविद्यालय में लगातार उपस्थित होने पर भी कार्यग्रहण नहीं करवाकर वेतन भत्तों का भुगतान रोक दिया था। जबकि इसी महाविद्यालय के एक अन्य सह आचार्य डॉ कर्मवीरसिंह को माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर तत्कालीन प्राचार्य ने तुरंत कार्यग्रहण करवाकर समस्त वेतन भत्तों का भुगतान कर दिया।

दिल्ली पहुंचे कार्यकर्ता

किशनगढ़ बास, (निसं)। कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष व विधायक दीपचंद खेरिया के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली गए। विधायक के मीडिया प्रभारी सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि किशनगढ़ बास से राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष वह विधायक दीपचंद खेरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे हैं।

SBI भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, तृतीय मंजिल, मैट्रिक्स मॉल, सेक्टर-4, जवाहर नगर, जयपुर (राजस्थान)- 302004, ई-मेल: sbi.18184@sbi.co.in शाखा कोड- 18184, फोन: 0141-2657811, 2657921, 2657926, 2657989

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि

निम्नहस्ताक्षरकर्ता **भारतीय स्टेट बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) के अंतर्गत और धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, ऋणी **मैसर्स गायत्री सेल्स कॉर्पोरेशन, प्रोपराईटर श्रीमती कुसुम घिया पत्नी श्री हरि शंकर घिया एवं जमानतदार श्री हरि शंकर घिया पुत्र श्री सत्यनारायण** पर मांग सूचना दिनांक 10.01.2022 पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 02.01.2022 को बकाया राशि रू. 72,99,986/- (रूपये बहत्तर लाख निन्यानवे हजार नौ सौ छियासी मात्र) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने दिनांक **19, माह जुलाई, वर्ष 2022** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उसमें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।

ऋणी को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 02.01.2022 को बकाया राशि रू. 72,99,986/- (रूपये बहत्तर लाख निन्यानवे हजार नौ सौ छियासी मात्र) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए **भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, तृतीय मंजिल, मैट्रिक्स मॉल, सेक्टर-4, जवाहर नगर, जयपुर के प्रभार के अधीन होगा।**

कर्जदार का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्री हरि शंकर घिया पुत्र श्री सत्यनारायण के नाम साम्यिक बंधक प्लॉट नं. बी-66, सनराईज सिटी, गाँव निवारू, जयपुर, राजस्थान-302012 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 216.66 वर्ग गज है। सीमाएं- पूर्व: प्लॉट नं. बी-71 एवं बी-72, पश्चिम: रोड 40' चौड़ी, उत्तर: प्लॉट नं. बी-67, दक्षिण: प्लॉट नं. बी-65 हस्ता.

स्थान: गाँव निवारू (जयपुर) प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 19.07.2022 भारतीय स्टेट बैंक

आमजन की परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण करें: सोनी

अलवर, (निसं)। त्रि-स्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में आज जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित हुई। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आमजन की परिवेदनाओं का यथासंभव त्वरित रूप से गुणात्मक निस्तारण करे। उन्होंने कहा कि टीम भावना के साथ संवेदनशील रहकर अंतिम छोर के व्यक्ति तक राहत पहुंचाने का कार्य करें। जनसुनवाई के दौरान फरियादी को ससम्मान कुर्सी पर बैठाकर जिला कलक्टर ने उनकी परिवेदनाओं को सुना।

जिला कलेक्टर के समक्ष जिलेभर से आए 290 फरियादियों ने अपनी परिवेदना प्रस्तुत की। जिनमें मुख्य रूप से राजस्व, नगर परिषद, यूआईटी, पंचायती राज, जलदाय विभाग, पुलिस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा, रसद, श्रम विभाग आदि की परिवेदनाएं थी। जनसुनवाई में अलवर के वार्ड 49, 50, 63 व बुधविहार के डी ब्लॉक में अपूर्ण बोरिंग, शिवाजी पार्क 2 क में पेयजल लाइन के मिलान एवं उमरैण के ग्राम भूदर का बास आदि की पेयजल समस्या की परिवेदनाओं पर उन्होंने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को निर्देश दिये कि पेयजलग्रस्त क्षेत्रों की समस्या का निरीक्षण कराकर त्वरित निस्तारण

जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी (बाएं) की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित हुई।

■ जनसुनवाई में 290 व्यक्तियों ने परिवेदनाएं प्रस्तुत की

करावे। जिले के विभिन्न स्थानों से आने वाले फरियादियों की परिवेदना की संबंधित अधिकारी से सीधी बात कर परिवेदना की स्थिति जानने के लिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोडा गया। जनसुनवाई स्थल पर फरियादियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन की ओर से हैल्प डेस्क लगाई गई जिस पर फरियादियों को हाथों-हाथ रसीद दी गई। इसी प्रकार दिव्यांगजनों के लिए सक्षम हैल्प डेस्क लगाई गई तथा छाया, पेयजल एवं बैठने की माकूल व्यवस्था की गई। साथ ही फरियादियों को नि:शुल्क मास्क उपलब्ध कराए गए तथा सैनेटाइजर की व्यवस्था की गई।

बालिका कौशल प्रशिक्षण शिविर

फागी, (निसं)। उपखंड मुख्यालय जयपुर भीलवाड़ा मेगा हाईवे पर स्थित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर संचालित तृतीया आंगनवाडी केंद्र परिसर में गुरुवार को राजस्थान कौशल आजीविका लिमिटेड आई पी ई ग्लोबल के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय बालिका कौशल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। साथ ही सामुदायिक कार्यक्रम जन स्वास्थ्य संदेश दिवस का भी आयोजन करवाया गया। मंजिल कार्यक्रम सदस्य एवं सामुदायिक प्रेरक सुशीला कंवर ने कार्यक्रम में उपस्थित किशोरी बालिकाओं से कहा कि कम उम्र में किशोरी बालिकाओं की शादी करने से बालिकाओं का शरीर का शारीरिक, मानसिक एवं खुशहाल जीवन का विकास समय पर नहीं हो पाता है। साथ ही प्रेरक सुशीला कंवर ने किशोरी बालिकाओं को कोर्स की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि रिटेल का कोर्स, होम केयर का कोर्स,ब्यूटी पार्लर का कोर्स, सिलाई का कोर्स,एवम् हेल्थ केयर का कोर्स का प्रशिक्षण जयपुर टोंक अजमेर भीलवाड़ा उदयपुर डूंगरपुर सहित 6 जिलों में चल रहा हैं।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

CIN : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031

फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुननिर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तों की पालना नहीं की है और अनियमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	15658275, 14652189, 15069789, 32305646 एवं 32254495	सम्पत्ति पर ऋण	1. कमल टाइल एण्ड सैनेट्री 2. मीना गुप्ता 3. यश गुप्ता (स्व. सुरेन्द्र कुमार गुप्ता के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में) 4. रिमझिम गुप्ता (स्व. सुरेन्द्र कुमार गुप्ता के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में) 5. मीना उर्फ मीनू गुप्ता (स्व. सुरेन्द्र कुमार गुप्ता के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में) 6. कमला देवी पत्नी स्व. बनवारी लाल गुप्ता (स्व. सुरेन्द्र कुमार गुप्ता के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में)	16.07.2022	1,53,34,758.08/-	**सम्पत्ति-1** - प्लाट नं.-66-ए की पहली मंजिल का भाग, क्षेत्रफल 191.19 वर्गगज, साथ में एक कमरा और लैटबाथ जो पहली मंजिल की छत पर है (क्षेत्रफल 16.35 वर्ग मीटर) जवाहर नगर कॉलोनी स्कीम, टोंक रोड, जयपुर और सीमायें है- पूर्व-प्लाट नं. 65, पश्चिम-प्लाट नं.66-बी, उत्तर-रोड, दक्षिण-रोड **सम्पत्ति-2**- प्लाट नं.6 के पश्चिम भाग का पूरा व प्रत्येक भाग, सत्य नगर, खातीपुरा रोड, झोटवाड़ा, जयपुर राजस्थान, क्षेत्रफल 95.59 वर्ग मीटर और सीमायें है- पूर्व-प्लाट का भाग, पश्चिम-प्लाट नं.5 बी, उत्तर-अन्य, दक्षिण-रोड 30 फिट

आपको एतदद्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पडेगा/इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है।

ह./-

दिनांक- 22.07.2022 प्राधिकृत अधिकारी

स्थान- जयपुर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)